

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल शिष्टी केवल आवासीय प्रयोजनार्थी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 734 दिनांक 21/10/2020

प्राथी दीपक नरेश डा० श्री सुमेरु भल नरेश

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 26000/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9864/9864, 9865

दिनांक 21/10/2020 को जमा करा दी है ।

24/10/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

जी + 1
आवासीय

P.No: 194 सेक्टर 4 मसुरिया
सेक्शन - 4 शाही नगर

Samsul
24/10/20
9413247650